

कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के वर्षों के लिए फॉर्म संख्या 10खख दाखिल करने में देरी के लिए क्षमा

परिपत्र संख्या 6/2021 [एफ.सं. 197/49/2021-आईटीए-1], दिनांक 26-3-2021

बोर्ड के संज्ञान में लाया गया है कि छूट शुल्क विभाग को निर्धारण वर्ष 2018-19 से पहले के वर्षों के लिए फॉर्म 10खख दाखिल करने में देरी के लिए क्षमा के लिए लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

2. उपरोक्त के मद्देनजर, परिपत्र संख्या 19/2020 दिनांक 3-11-2020 के आंशिक संशोधन में, परिपत्र के पैरा 4(i) के अंतिम वाक्य को निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है:

"इसके अलावा, ऐसे सभी लंबित आवेदनों के साथ-साथ अब से प्राप्त आवेदनों का निपटारा अधिमानतः उस महीने के अंत से तीन महीने के भीतर किया जाएगा जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ है।"

3. यह संशोधन 31 मार्च, 2021 से प्रभावी होगा।